

प्रधान

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

प्रशिक्षणाधीर्य/प्रबन्धक,
गौमांसी दुखी बाबा प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
आगांगज दिक्षी
फैजाबाद।

पत्रांक: 1352/टी-3/रायपो/भा०स०संस्तुति

विषय:- स्थायी समिति/विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी ओप्र० केन्द्रों के व्यवसाय/यूनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, डी०जी०ई०टी० नई दिल्ली में गठित उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

18/4/2013

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि आपके केन्द्र की स्थायी समिति/विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 09-08-2012 तथा विभाग 24-08-2012 को महानिदेशालय, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद की उप समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। उप समिति द्वारा आपके संस्थान से सम्बन्धित उक्त निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसका उद्दरण व्यवसायवार नीचे अंकित किया जा रहा है-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिनके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन का अनुरोध किया गया।	संस्तुति की गयी		अन्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	डी०जी०ई०टी० द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician Addl. 01 Units	Addl.one unit Total 3(1+1+1)	DIR-09/06/12 w.e.f. Aug.2012 *Rejected as there is overwriting on the experience certificate of Sh. Anurag Pandey,instructor Fitter However the institute should appoint new staff meeting the qualification and experience as per NCVT norms and the same may be forwarded by S/D after getting it authenticated for reconsideration.	
2-	Fitter Addl. 01 Units	*Rejected		

DGET-6/24/108/11-TC

DATED 24/08/2012

प्रयोग किये गये संकेत:-

- (1) एस०सी०आई०आर०—स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
- (2) एस०आई०आर०—पूरक निरीक्षण रिपोर्ट
- (3) डी०आई०आर०—विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट
- (4) यू०सी०—विचाराधीन
- (5) एन०आर०—संस्तुति नहीं किया गया।
- (6) एन०सी०—विचार नहीं किया गया।

2 आपसे अपेक्षा की जाती है कि भारत सरकार द्वारा बताई गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करके अपनी आव्याय विन्दुवार साझे सहित दो प्रतियों ने इस निदेशालय को अविलम्ब प्रेषित करें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष :- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान के वाइंट व्यवसायों को मान्यता प्रदान नहीं कि गई है तो आप इन व्यवसायों में प्रवेश न करें। इन अमान्य व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आगामी अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

मनदीय,

अपर निदेशक (प्रशि / शिक्ष)

पत्रांक : /टी-3/रायपो/भा०स०संस्तुति/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाधीर्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. संयुक्त निदेशक (प्रशि / शिक्ष) लखनऊ की इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त विशेष विन्दु पर विशेष ध्यान दें तथा संबंधित संस्थान/केन्द्र को नीचे अपने स्तर से अवगत करायें।
2. संबंधित संस्थान/केन्द्र नीचे व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
3. गार्ड फाइल हेतु।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद अलीगंज, लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशि / शिक्ष)